न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2020 दायर दिनांकः 05/11/2020

उनवान

1. मुकेश आयु 22 वर्ष बंशीलाल जाति बैरवा निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

आदेश

दिनाकः 06/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि ग्राम व माल मेरमाचाह पटवार हल्का मेरमाचाह तह0 अटरू जिला बारां में खाता संख्या 236 कुल किता 7 का रकबा 2.74 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/24 खाता दर्ज है। एवं इसी प्रकार ग्राम व माल महेशपुरा तह0 अटरू जिला बारां खाता संख्या 118 की कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0 प्रार्थी के शामलाती खाता दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1.30 खाता दर्ज है एवं खाता संख्या 119 का कुल किता 2 का रकबा 0.81 है0 शामलाती खाता दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/24 खाता दर्ज है। एवं खाता संख्या 124 ग्राम व माल महेशपुरा का कुल किता 1 का रकबा 1.16 है0 शामलाती खाता दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1.5 का शामलाती खाता दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। प्रार्थना पत्र [illegible] सं. 1 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोलू पुत्र बंशीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। क्योंकि प्रार्थी को गावं में गोलू के नाम से पुकारते है। जबकि प्रार्थी का अन्य सरकारी रिकार्ड राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी, आयकर विभाग पेन कार्ड एवं माननीय शिक्षा बोर्ड का राजस्थान की अंकतालिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 15:53:36 IST
Reason: Self Attested

में मुकेश वर्मा पुत्र बंशीलाल दर्ज है। इसलिये प्रार्थी अपने नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा के गोलू के स्थान पर मुकेश वर्मा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में गोलू पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा के स्थान पर मुकेश वर्मा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा दर्ज किया जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw** 1 व 2 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम व माल मेरमाचाह पटवार हल्का मेरमाचाह तह0 अटरू जिला बारां में खाता संख्या 236 कुल किता 7 का रकबा 2.74 है0 , ग्राम व माल महेशपुरा खाता संख्या 118 की कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0 , खाता संख्या 119 का कुल किता 2 का रकबा 0.81 है0 , खाता संख्या 124 ग्राम व माल महेशपुरा का कुल किता 1 का रकबा 1.16 है0 भूमि में गोलू पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा के स्थान पर मुकेश वर्मा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा दर्ज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम महेशपुरा की खाता संख्या 118, 119, 124 में सहखातेदार के रूप में गोलू पुत्र बंशीलाल दर्ज है तथा ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 236 में सहखातेदार गोलु पुत्र बंशीलाल हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम मुकेश वर्मा पुत्र बंशीलाल वर्मा दर्ज है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम मुकेश वर्मा पुत्र बंशी लाल वर्मा दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.2020 अनुसार भी प्रार्थी का नाम मुकेश वर्मा पुत्र बंशीलाल है जिसका घर का नाम गोलू है।

अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल मेरमाचाह तह0 अटरू जिला

बारां में खाता संख्या 236 कुल किता 7 का रकबा 2.74 है0, ग्राम व माल महेशपुरा तह0 अटरू खाता संख्या 118 की कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0, खाता संख्या 119 का कुल किता 2 का रकबा 0.81 है0, खाता संख्या 124 ग्राम व माल महेशपुरा का कुल किता 1 का रकबा 1.16 है0 में सहखातेदार गोलू पुत्र बंशीलाल के स्थान पर मुकेश वर्मा उर्फ गोलू पुत्र बंशी लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested